



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2015 ज्येष्ठ 1, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा नाम "बजरंग पिता नवलसिंह चौहान" है. जिसे मेरे द्वारा परिवर्तित कर लिया होने से मुझे "अनिल पिता नवलसिंह चौहान" के नाम से जाना-पहचाना जाता है और भविष्य में भी "अनिल" के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(बजरंग पिता नवलसिंह चौहान)

नया नाम :

(अनिल पिता नवलसिंह चौहान)

निवासी-ग्राम कठोरा, तहसील कसरावद,
जिला खरगोन (म.प्र.).

(88-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मंजीत कौर, उम्र 39 वर्ष, निवासी राणी सती रोड, अग्रवाल वाटिका के सामने, आगर-मालवा की हूँ. मेरा विवाह सन् 1998 में श्री आत्माराम मालवीय पिता श्री मांगीलालजी मालवीय, निवासी आगर के साथ हो चुका है. विवाह के पूर्व मेरा समस्त दस्तावेज जैसे अंकसूची, मतदाता परिचय-पत्र आदि पर मंजीत कौर लिखा है. चूंकि विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तन करते हुए मंजु मालवीय के रूप में जाना जाता है तथा मंजु मालवीय के नाम से अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में जानी जाती हूँ तथा मुझे अब मंजु मालवीय के नाम से किसी भी प्रकार के दस्तावेजों में उल्लेख करते हुए सम्बोधन किया जाये. इस प्रकाशन के पश्चात् मेरा नाम मंजु मालवीय के रूप में जाना जावेगा.

पुराना नाम :

(मंजीत कौर)

नया नाम :

(मंजु मालवीय)

राणी सती रोड, अग्रवाल वाटिका के सामने,
आगर-मालवा (म.प्र.).

(75-बी.)

नाम परिवर्तन

हर आम खास को सूचित किया जाता है कि मैं आदित्य शिवहरे पुत्र श्री राम किशोर शिवहरे, निवासी 41, खेड़ापति कॉलोनी, ग्वालियर

का पूर्व का नाम खेमचन्द शिवहरे पुत्र श्री राम किशोर शिवहरे था जो कि राशि के हिसाब से शूट न रहने से ज्योतिषाचार्य की राय के अनुसार परिवर्तित किया जाकर आदित्य शिवहरे कर लिया गया है वर्तमान में अब मेरा नाम आदित्य शिवहरे पुत्र श्री राम किशोर शिवहरे से जाना जावेगा.

पुराना नाम :

(खेमचंद शिवहरे)

(76-बी.)

नया नाम :

(आदित्य शिवहरे)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम हरीओम चतुर्वेदी है, जो जन्म प्रमाण-पत्र व अन्य समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. मेरे पुत्र का त्रुटिवश आठवीं कक्षा में के. वी.-1 में सृजन नाम लिख गया है जो गलत है. अतः अब मेरे पुत्र को भविष्य में सृजन के स्थान पर हरीओम चतुर्वेदी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावेगा.

अवध बिहारी चतुर्वेदी (पिता)

अशोक कॉलोनी, नदीपार टाल मुरार,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(77-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम प्रबलप्रताप सिंह मावई पुत्र स्व. श्री सोवरन सिंह मावई है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रदीप सिंह मावई पुत्र स्व. श्री सोवरन सिंह मावई नाम अंकित है. मुझे सामाजिक, राजनैतिक, व्यवसायिक कार्यभार में प्रबलप्रताप सिंह मावई पुत्र स्व. श्री सोवरन सिंह मावई के नाम से ही जाना-पहचाना जाता है. शैक्षणिक एवं पहचान वाले दोनों नाम प्रदीप सिंह मावई व प्रबलप्रताप सिंह मावई मेरे ही हैं. मुझे इन्हीं दोनों नामों से जाना व पहचाना जावे.

सूचनाकर्ता

प्रबलप्रताप सिंह मावई

पुत्र-स्व. श्री सोवरन सिंह मावई,

साईं कृपा, जयनगर कोठी गणेशपुरा, मुरैना (म.प्र.).

(78-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं सौरभ राजवैद्य सूचित करता हूँ कि मैंने अपना नाम बदलकर मोहम्मद सलीम रख लिया है मुझे अब मोहम्मद सलीम के नाम से जाना जाता है.

पुराना नाम :

(सौरभ राजवैद्य)

(81-बी.)

नया नाम :

(मोहम्मद सलीम)

निवासी-34, बरेला गाँव लालघाटी, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं मानसी सूचित करती हूँ कि मैंने अपना नाम बदलकर राहिला सलीम रख लिया है मुझे अब राहिला सलीम के नाम से जाना जाता है.

पुराना नाम :

(मानसी)

(82-बी.)

नया नाम :

(राहिला सलीम)

निवासी-34, बरेला गाँव लालघाटी, भोपाल (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स साईं ग्रेनाइट, ए-46, शान्ति बिहार, दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) ने 01-04-2015 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर फर्म का पता परिवर्तित कर न्यू पता हाउस नं. 101, गोबर्धन कॉलोनी के सामने, साईं बाबा मन्दिर के पास, भिण्ड रोड, गोले का मन्दिर, ग्वालियर कर दिया है साथ ही फर्म में संशोधन कर श्री रामनिवास शर्मा पुत्र स्व. श्री श्रीराम शर्मा,

निवासी ई-25, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, बलबंत नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है भविष्य में फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा एवं अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर नवीन साझेदार के रूप में श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री रामसेवक शर्मा, निवासी-ग्राम हिगावली, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.) को सम्मिलित किया गया है. भविष्य में फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

प्रार्थी

AJAY PAL SINGH TOMAR,

मैसर्स साईं ग्रेनाइट,

गोबर्धन कॉलोनी के सामने, साईं बाबा
मन्दिर के पास, भिण्ड रोड, गोले का मन्दिर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(79-बी.)

जाहिर सूचना

“आम जनता को भागीदारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मैसर्स ब्रजेश्वरी डेवलपर्स, 215 प्रकाश नगर चौराहा नवलखा, इंदौर भागीदारी फर्म, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00059/04, दिनांक 12-08-2004 है में नवीन भागीदार गोपाल अग्रवाल एच. यू. एफ द्वारा कर्ता श्री गोपाल अग्रवाल, अग्रवाल नगर इंदौर, दिनांक 05 जुलाई, 2005 को नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित किया गया है एवं भागीदारों में गोपाल अग्रवाल एच. यू. एफ. का 1/3, अनुपात विभाजित रहेगा तथा इसी प्रकार श्री आशीष अग्रवाल पिता गोपाल अग्रवाल, निवासी अग्रवाल नगर इंदौर, श्रीमती विमला अग्रवाल पति मोहनलाल अग्रवाल, निवासी अग्रवाल नगर इंदौर, श्रीमती अरूणा अग्रवाल पति श्री गोपाल अग्रवाल, निवासी अग्रवाल नगर इंदौर, श्री किशनचंद अग्रवाल पिता श्री सोहनलाल अग्रवाल, निवासी अग्रवाल नगर इंदौर श्री विपीन अग्रवाल पिता श्री मोहनलाल अग्रवाल, निवासी अग्रवाल नगर इंदौर दिनांक 01 अप्रैल, 2006 को नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित किया गया है तथा इसी प्रकार श्री गोपाल अग्रवाल पिता श्री सोहनलाल अग्रवाल, निवासी अग्रवाल नगर इंदौर को दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित किया गया है तथा श्री नितिन अग्रवाल, श्री गोपाल अग्रवाल एच. यू. एफ, श्री आशीष अग्रवाल, श्रीमती विमला अग्रवाल, श्रीमती अरूणा अग्रवाल, श्री किशनचन्द्र अग्रवाल, श्री विपीन अग्रवाल फर्म से दिनांक 01-09-2008 से रिटायर हो गये हैं. तथा श्री मोहनलाल अग्रवाल एवं श्री गोपाल अग्रवाल फर्म के भागीदार रहेंगे तथा इसी प्रकार श्री मोहनलाल अग्रवाल एवं श्री गोपाल अग्रवाल द्वारा दिनांक 02-04-2014 को आपसी सहमति से उक्त फर्म को विघटित कर दिया गया है. सो सूचित हो”.

प्रस्तुतकर्ता

For : M/s. Brijeshwari Developers

गोपाल अग्रवाल,

(Partner).

(80-बी.)

आम सूचना

मैं, रमेश चन्द्र गर्ग पुत्र स्व. श्री तोताराम गर्ग, निवासी जीवाजी गंज मुरैना का होकर हर आम व खास को सूचित करता हूँ कि हमारी फर्म के. एस. फूड प्रोडैक्ट तिलक रोड, मुरैना जो कि तेल, तिलहन, अनाज आदि का व्यापार करती है. दिनांक 02-04-2014 से मैसर्स रमेश चन्द्र सौरभ कुमार HUF फर्म से पृथक् हो गई है. उक्त साझेदार का फर्म से हित एवं दायित्व समाप्त हो गया है तथा इसी दिनांक से श्री विष्णु कुमार अग्रवाल पुत्र श्री छोटे लाल अग्रवाल, निवासी चोर गली, भिण्ड को फर्म में साझेदार बनाया गया है.

अतः सूचित हो.

सूचनाकर्ता

मैसर्स के. एस. फूड प्रोडैक्ट

द्वारा-रमेश चन्द्र गर्ग,

(साझेदार)

जीवाजी गंज, मुरैना.

(83-बी.)

आम सूचना

मैं, रमेश चन्द्र गर्ग पुत्र स्व. श्री तोताराम गर्ग, निवासी जीवाजी गंज मुरैना का होकर हर आम व खास को सूचित करता हूँ कि हमारी फर्म के. एस. इन्टर प्राइजेज, जीवाजी गंज मुरैना, जो कि तेल, तिलहन, अनाज आदि का व्यापार करती है. दिनांक 02-04-2014 से मैसर्स रमेश चन्द्र सौरभ कुमार

HUF फर्म से पृथक् हो गई है। उक्त साझेदार का फर्म से हित एवं दायित्व समाप्त हो गया है तथा इसी दिनांक से श्री विष्णु कुमार अग्रवाल पुत्र श्री छोटे लाल अग्रवाल, निवासी चोर गली, भिण्ड को फर्म में साझेदार बनाया गया है।

अतः सूचित हो।

(84-बी.)

सूचनाकर्ता
मैसर्स के. एस. इन्टर प्राइजेज,
द्वारा-रमेश चन्द्र गर्ग,
(साझेदार)
जीवाजी गंज, मुरैना.

आम सूचना

मेरी पक्षकार वैष्णवी मिनिरल प्रायवेट लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत श्री उत्तम सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री परमाल सिंह, निवासी-जी.एच. 132, दीनदयाल नगर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश के द्वारा प्रदत्त जानकारी एवं दिशा निर्देशों के आधार पर सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार के द्वारा संचालित फर्म वैष्णवी मिनिरल जिसका कि पंजीयन क्रमांक 127/1996-97, दिनांक 10-06-1996 है, उपरोक्त फर्म में पूर्व में (1) अशोक दुबे पुत्र श्री मूलचन्द दुबे, (2) सौरभ द्विवेदी पुत्र श्री कमलेश कुमार द्विवेदी, (3) एकलव्य सिंह पुत्र श्री परमल सिंह, (4) नीलिमा दीक्षित पुत्री श्री विनोद दीक्षित भागीदार की हैसियत से कार्य कर रहे थे। यहकि, (1) अशोक दुबे पुत्र श्री मूलचन्द दुबे, (2) सौरभ द्विवेदी पुत्र श्री कमलेश कुमार द्विवेदी स्वयं की सहमति व इच्छा से दिनांक 31-03-2015 से उपरोक्त फर्म से अलग हो गये हैं एवं उपरोक्त दिनांक से उपरोक्त दोनों भागीदारों का फर्म के किसी भी कार्य से किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना नहीं रहेगा।

उपरोक्त भागीदारों के नाम परिवर्तन से यदि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति है अथवा किसी भी प्रकार से हित प्रभावित होता है तो संबंधित व्यक्ति किसी भी प्रकार की आपत्ति के निराकरण हेतु सूचना दिनांक से 15 दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में वांछित दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो आपत्ति दर्ज करा सकता है, म्याद अर्थात् उपरोक्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य न होकर वैधानिक रूप से शून्य होगी।

(85-बी.)

संदीप दुबे,
(एडवोकेट)
म.प्र. हाईकोर्ट, ग्वालियर.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01-04-2013 से भागीदारी पंजीकृत फर्म मे. अमृतलाल जैन अमृतश्री मेन रोड, हरदा की भागीदारी में मयंक जैन को भागीदार के रूप में शामिल किया गया तथा सतीश जैन और श्री अशोक जैन भागीदारी से पृथक् हो गये।

(86-बी.)

राजीव कुमार जैन,
(भागीदार)
फर्म—मैसर्स अमृतलाल जैन, हरदा.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स दी प्लेजर गुना स्थित 10 नानाखेड़ी (नवनिर्मित भवन) ए. बी. रोड, गुना (म.प्र.) में दिनांक 15-05-2015 से फर्म का नाम मैसर्स होटल राज विलास किया जा रहा है। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

(87-बी.)

फर्म—मैसर्स दी प्लेजर गुना
राजकुमार सिंह रघुवंशी,
(भागीदार)
10, नानाखेड़ी (नवनिर्मित भवन) ए. बी. रोड,
गुना (म. प्र.).
द्वारा—अमित सोगनी (एडवोकेट)
सुरभी भवन, नयापुरा, गुना.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, गोटेगाँव, जिला नरसिंहपुर

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास, गोटेगाँव,

जिला नरसिंहपुर के समक्ष.

चूँकि चौ. विभाष जैन पुत्र सुरेश चंद जैन अन्य निवासी आजाद वार्ड, गोटेगाँव, तहसील गोटेगाँव ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 25 मई, 2015 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, जी. एस. धुर्वे, पंजीयक लोक न्यास/अनुविभागीय अधिकारी गोटेगाँव, तहसील गोटेगाँव, जिला नरसिंहपुर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 25 मई, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

सम्पत्ति का विवरण : मौजा खमरिया नं. बं. 92 ह. नं. 38 स्थित ख. नं. 236/5 रकबा, 0.066 हे.

लोक न्यास का नाम : श्री देव पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, खमरिया (गोटेगाँव).

जी. एस. धुर्वे,

पंजीयक.

(275)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक, अल्प संख्यक महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., ढिगवास, जिला शिवपुरी

दिनांक 6 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

अल्प संख्यक महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., ढिगवास, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 100, दिनांक 21 जुलाई, 2004 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 1105, दिनांक 02 जुलाई, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की

अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 6 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

पी. सी. गुप्ता,
परिसमापक.

(271)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला सागर

सागर, दिनांक 20 मार्च, 2014

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सागर

द्वारा:-अध्यक्ष श्री मनोज दुबे,

पता-वाईसा मुहाल, सागर.

पं. क्र.109, दिनांक 18-10-1995.

क्र./परि./2014/312.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षक), सहकारी संस्थाएं, सागर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., सागर. जिसे बाद में संस्था कहा गया है. विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होने से ‘डी’ वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. चूंकि संस्था सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 तथा संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, अर्थात् जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था, उसकी पूर्ति करने में संस्था अक्षम रही है जो अधिनियम की धारा-69 (2) (ए/क) के अंतर्गत दोषी है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सागर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 15-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत जारी कर निर्देश देता हूँ कि सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अंदर अपना उत्तर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(272)

सागर, दिनांक 20 मार्च, 2014

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बांदरी

द्वारा:-अध्यक्ष श्रीमती मालती/नन्हे सींग,

(वार्ड क्र. 15, 16, 17, 18)

पता-बांदरी, जिला सागर.

पं. क्र.153, दिनांक 31-07-2009.

क्र./परि./2014/313.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षक), सहकारी संस्थाएं, सागर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., बांदरी जिसे बाद में संस्था कहा गया है. विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होने से ‘डी’ वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. चूंकि संस्था सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 तथा संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है अर्थात् जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था, उसकी पूर्ति करने में संस्था अक्षम रही है जो अधिनियम की धारा-69 (2) (ए/क) के अंतर्गत दोषी है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सागर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 15-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत जारी कर निर्देश

देता हूँ कि सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अंदर अपना उत्तर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(272-A)

सागर, दिनांक 20 मार्च, 2014

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बीना

द्वारा:-अध्यक्ष श्रीमती मुन्नी बाई/कन्छेदी पटेल,

पता-वीर सावरकर वार्ड, बीना.

पं. क्र.1120, दिनांक 07-06-2004

क्र./परि./2014/312.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षक), सहकारी संस्थाएं, सागर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बीना जिसे बाद में संस्था कहा गया है. विगत तीन वर्षों से अकार्यशील होने से 'डी' वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. चूंकि संस्था सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम-1962 तथा संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, अर्थात् जिस उद्देश्य हेतु संस्था का गठन किया गया था, उसकी पूर्ति करने में संस्था अक्षम रही है जो अधिनियम की धारा-69 (2) (ए/क) के अंतर्गत दोषी है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सागर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 15-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत जारी कर निर्देश देता हूँ कि सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अंदर अपना उत्तर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

संजय नायक,

उप-आयुक्त.

(272-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 31 जुलाई, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

क्र./परि./2013/2045.—कृषिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1430, खण्डवा, दिनांक 12 जनवरी, 1990 के द्वारा अपनी उपविधि क्रमांक-5 (अ) (1) में संशोधन हेतु प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था. चूंकि संस्था मूलतः कृषि महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए गठित की गई थी, अतः महाविद्यालयीन अधिकारी/कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को सदस्य बनाने सम्बन्धी संशोधन होने से संशोधन प्रस्ताव आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित किया गया. मुख्यालय द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई जो संस्था से प्राप्त कर मुख्यालय प्रेषित की गई. उक्त जानकारियों के अनुसार संस्था के पंजीयन के समय कुल 28 सदस्य थे तथा संस्था में पंजीयन के बाद संस्था में कोई नये सदस्य नहीं बनाये गये हैं. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, खण्डवा के द्वारा संस्था अंकेक्षक (आडिटर) को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार संस्था के 28 सदस्यों में से मात्र 03 सदस्य श्री राजेश ईश्वरसिंह सिसौदिया, श्री अशोक कुमार शर्मा एवं श्री प्रभाकर दामोदर मोघे ही वर्तमान में महाविद्यालय में कार्यरत हैं, शेष 25 सदस्य या तो सेवानिवृत्त हो गये हैं अथवा उनका अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है.

उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि संस्था जिन सदस्यों की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु गठित की गई थी, उन सदस्यों के कार्यक्षेत्र में निवासरत नहीं रह जाने से संस्था का उद्देश्य ही समाप्त हो गया है. संस्था के विगत वर्षों की अंकेक्षण टीपों से स्पष्ट है कि संस्था लगातार अकार्यशील है एवं संस्था द्वारा अपने सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. इस प्रकार निम्न कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक

हो गया है .—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए कृषिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./के.डब्ल्यू.ए./1430, खण्डवा, दिनांक 12 जनवरी, 1990 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(273)

खण्डवा, दिनांक 30 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1997/744, दिनांक 23 अप्रैल, 1997 के द्वारा रविन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, (पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 09 नवम्बर, 1979) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री महेश सिंघल, पर्यवेक्षक, मध्यप्रदेश आवास संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारियों व देनदारियों का निपटारा किये जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए रविन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, (पंजीयन क्रमांक 1194, दिनांक 09 नवम्बर, 1979) विकासखण्ड एवं जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(273-A)

खण्डवा, दिनांक 30 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परि./13/3140.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/77, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा माँ कावेरी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, कोठी (पंजीयन क्रमांक 2103, दिनांक 19 अगस्त, 2008) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सह.) इंदिरा जलाशय, नर्मदानगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था की लेनदारियों व देनदारियों का निपटारा किये जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संस्था माँ कावेरी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, कोठी (पंजीयन क्रमांक 2103, दिनांक 19 अगस्त, 2008) विकासखण्ड पुनासा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(273-B)

खण्डवा, दिनांक 30 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/76, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के द्वारा माँ रेवाश्वरी विस्थापित मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, गुंजारी (पंजीयन क्रमांक 2112, दिनांक 04 सितम्बर, 2008) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सह.) इंदिरा जलाशय नर्मदानगर/ओंकरेश्वर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारियों व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम स्थिति विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित किये गये हैं. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संस्था माँ रेवाश्वरी विस्थापित मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, गुंजारी (पंजीयन क्रमांक 2112, दिनांक 04 सितम्बर, 2008) विकासखण्ड पुनासा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(240-C)

मदन गजभिये,
उप-पंजीयक.

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, चम्बल सम्भाग, मुरैना

मुरैना, दिनांक 19 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/254.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1140, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था जिला फल-साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 06 जुलाई, 1990 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 19 नवम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब दिनांक 19 नवम्बर, 2013 से यह अवगत कराया है कि संस्था तत् समय चल रही थी. मध्यप्रदेश विधान सभा का हवाला देते हुये 02

माह की समयावधि उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निवेदित की गई थी तत् पश्चात् दिनांक 13 जनवरी, 2014 को उत्तर प्रस्तुत किया गया जो संतोषप्रद नहीं है। जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था जिला फल-साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., मुरैना (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था जिला फल-साग-भाजी सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 06 जुलाई, 1990 है। पंजीकरण हेतु मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री मुकेश सक्सेना, पद उप-अंकेक्षक, मुरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274)

मुरैना, दिनांक 19 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/255.— इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1143, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था दुर्गावती प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 1030, दिनांक 01 सितम्बर, 1998 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 19 नवम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी। संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था जिला दुर्गावती प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अम्बाह (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 02 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था दुर्गावती प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अम्बाह, पंजीयन क्रमांक 1030, दिनांक 01 सितम्बर, 1998 है। पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री आर. एस. पवार, पद सहकारी निरीक्षक, मुरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274-A)

मुरैना, दिनांक 19 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/256.— इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1136, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था आदर्श तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, दत्तपुरा मुरैना, पंजीयन क्रमांक 367, दिनांक 10 जनवरी, 1959 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 19 नवम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी। संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुँरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था आदर्श तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, दत्तपुरा, मुँरैना (मुँरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 05 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था आदर्श तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, दत्तपुरा मुँरैना, पंजीयन क्रमांक 367, दिनांक 10 जनवरी, 1959 है। पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री आर. डी. पचोरिया, पद उप-अंकेक्षक, मुँरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274-B)

मुँरैना, दिनांक 19 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/257.— इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1138, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 से जिला मुँरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुँरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था खदान उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, पढ़ावली, पंजीयन क्रमांक 327, दिनांक 30 अगस्त, 1971 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 19 नवम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी। संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुँरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था खदान उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, पढ़ावली (मुँरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 05 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था खदान उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, पढ़ावली, पंजीयन क्रमांक 327, दिनांक 30 अगस्त, 1971 है। पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री मुकेश सक्सेना, पद उप-अंकेक्षक, मुँरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274-C)

मुँरैना, दिनांक 19 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/258.— इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1144, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 से जिला मुँरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुँरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था जय दुर्गे मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नूराबाद, पंजीयन क्रमांक 429, दिनांक 29 सितम्बर, 1976 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 19 नवम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी। संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुँरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था जय दुर्गे मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नूराबाद (मुँरैना) के संचालक

मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 05 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था जय दुर्गे मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नूराबाद, पंजीयन क्रमांक 429, दिनांक 29 सितम्बर, 1976 है। पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री मुकेश सक्सेना, पद उप-अंकेक्षक, मुरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274-D)

मुरैना, दिनांक 19 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/259.— इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1141, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था चंबल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोरसा, पंजीयन क्रमांक 564, दिनांक 23 नवम्बर, 2002 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 19 नवम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी। संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था चंबल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोरसा (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 02 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था चंबल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोरसा, पंजीयन क्रमांक 564, दिनांक 23 नवम्बर, 2002 है। पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री ओ. एन. शर्मा, पद अंकेक्षण अधिकारी, मुरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274-E)

मुरैना, दिनांक 19 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/260.— इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1145, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था शक्कर कारखाना कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., कैलारस, पंजीयन क्रमांक 504, दिनांक 24 अक्टूबर, 1981 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 19 नवम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी। संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था शक्कर कारखाना कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., कैलारस (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 03 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था शक्कर कारखाना कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., कैलारस, पंजीयन क्रमांक 504, दिनांक 24 अक्टूबर, 1981 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री पी. सी. गुप्ता, पद उप-अंकेक्षक, मुर्ना की नियुक्ति की जाती है. वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे.

(274-F)

मुर्ना, दिनांक 19 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/261.— इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1142, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 से जिला मुर्ना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुर्ना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था सार्वजनिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अंबाह, पंजीयन क्रमांक 4629, दिनांक 07 अक्टूबर, 1947 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 19 नवम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है.

जिला कार्यालय मुर्ना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था सार्वजनिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अंबाह (मुर्ना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है.

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था सार्वजनिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अंबाह, पंजीयन क्रमांक 4629, दिनांक 07 अक्टूबर, 1947 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री ओ. एन. शर्मा, पद अंकेक्षण अधिकारी, मुर्ना की नियुक्ति की जाती है. वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे.

(274-G)

मुर्ना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/919.— इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1306, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से जिला मुर्ना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुर्ना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था महिला बहुउद्देशीय सहाकारी संस्था मर्यादित, पोसानकलां, पंजीयन क्रमांक 1280, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है.

जिला कार्यालय मुर्ना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था महिला बहुउद्देशीय सहाकारी संस्था मर्यादित, पोसानकलां (मुर्ना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 02 वर्ष में असफल रही है.

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था महिला बहुउद्देशीय सहाकारी संस्था मर्यादित, पोसानकलां, पंजीयन क्रमांक 1280, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है

इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री आर. डी. पचौरिया, पद उप-अंकेक्षक, मुरैना की नियुक्ति की जाती है. वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे.

(274-H)

मुरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/920.— इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1293, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था मधु मक्खी पालन सहाकारी संस्था मर्यादित, मुरैना, पंजीयन क्रमांक 1342, दिनांक 27 अगस्त, 2007 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है.

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था मधु मक्खी पालन सहाकारी संस्था मर्यादित, मुरैना (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है.

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था मधु मक्खी पालन सहाकारी संस्था मर्यादित, मुरैना, पंजीयन क्रमांक 1342, दिनांक 27 अगस्त, 2007 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री जे. एस. राजे, पद सहकारी निरीक्षक, मुरैना की नियुक्ति की जाती है. वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे.

(274-1)

मुरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/921.— इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1306, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था इन्द्रा गांधी महिला बहुउद्देशीय सहाकारी संस्था मर्यादित, हारगांगोली, पंजीयन क्रमांक 1283, दिनांक 04 अक्टूबर, 2004 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है.

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था इन्द्रा गांधी महिला बहुउद्देशीय सहाकारी संस्था मर्यादित, हारगांगोली (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है.

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था इन्द्रा गांधी महिला बहुउद्देशीय सहाकारी संस्था मर्यादित, हारगांगोली, पंजीयन क्रमांक 1283, दिनांक 04 अक्टूबर, 2004 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री जे. एस. राजे, पद सहकारी निरीक्षक, मुँरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274-J)

मुँरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/922.— इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1305, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से जिला मुँरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुँरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था विजयानंद महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दीपेहरा, पंजीयन क्रमांक 1262, दिनांक 21 जुलाई, 2004 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई थी। संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुँरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था विजयानंद महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दीपेहरा (मुँरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था विजयानंद महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दीपेहरा, पंजीयन क्रमांक 1262, दिनांक 21 जुलाई, 2004 है। पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री पी. सी. गुप्ता, पद उप-अंकेक्षक, मुँरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274-K)

मुँरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/923.— इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1304, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से जिला मुँरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुँरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कुकथरी, पंजीयन क्रमांक 1254, दिनांक 23 जून, 2004 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई थी। संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुँरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कुकथरी (मुँरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कुकथरी, पंजीयन क्रमांक 1254, दिनांक 23 जून, 2004 है। पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर कु. ज्योति बाला, पद सहायकी निरीक्षक, मुँरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274-L)

मुरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/924.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1303, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बीलपुर, पंजीयन क्रमांक 1281, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है.

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बीलपुर (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है.

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बीलपुर, पंजीयन क्रमांक 1281, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर कु. ज्योति बाला, पद सहायकी निरीक्षक, मुरैना की नियुक्ति की जाती है. वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे.

(274-M)

मुरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/925.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1308, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था मथुरा देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गौल्हारी, पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 09 मार्च, 2004 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है.

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था मथुरा देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गौल्हारी (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है.

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था मथुरा देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गौल्हारी, पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 09 मार्च, 2004 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री पी. सी. गुप्ता, पद उप-अंकेक्षक, मुरैना की नियुक्ति की जाती है. वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे.

(274-N)

मुरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/926.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1302, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से जिला मुरैना

में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, रजौधा, पंजीयन क्रमांक 1144, दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई थी। संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, रजौधा (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 02 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, रजौधा, पंजीयन क्रमांक 1144, दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 है। पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री मुकेश सक्सैना, पद उप-अंकेक्षक, मुरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274-O)

मुरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/927.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1298, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था, ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रिठौराकलां, पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 15 मार्च, 1994 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई थी। संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रिठौराकलां (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था ईट-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रिठौराकलां, पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 15 मार्च, 1994 है। पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री पी. सी. गुप्ता, पद अंकेक्षण, मुरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274-P)

मुरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/928.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1295, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था ईट-चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मृगपुरा, पंजीयन

क्रमांक 508, दिनांक 05 नवम्बर, 1987 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है.

जिला कार्यालय मुँरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था ईट-चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मृगपुरा (मुँरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है.

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था ईट-चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मृगपुरा, पंजीयन क्रमांक 508, दिनांक 05 नवम्बर, 1987 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटिफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री ओ. एन. शर्मा, पद उप-अंकेक्षण अधिकारी, मुँरैना की नियुक्ति की जाती है. वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे.

(274-Q)

मुँरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/929.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1309, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से जिला मुँरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुँरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, वनवारा, पंजीयन क्रमांक 1268, दिनांक 12 अगस्त, 2004 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है.

जिला कार्यालय मुँरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, वनवारा (मुँरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है.

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, वनवारा, पंजीयन क्रमांक 1268, दिनांक 12 अगस्त, 2004 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटिफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री पी. सी. गुप्ता, पद उप-अंकेक्षक, मुँरैना की नियुक्ति की जाती है. वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे.

(274-R)

मुँरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/930.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1201, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 से जिला मुँरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुँरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था अशोक मछुआरा सहकारी संस्था मर्यादित, जौरा, पंजीयन क्रमांक 1041,

दिनांक 27 जून, 1995 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी। संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुँरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था अशोक मछुआरा सहकारी संस्था मर्यादित, जौरा (मुँरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 03 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था अशोक मछुआरा सहकारी संस्था मर्यादित, जौरा, पंजीयन क्रमांक 1041, दिनांक 27 जून, 1995 है। पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री पवन अग्रवाल, पद उप-अंकेक्षक, मुँरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274-S)

मुँरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/931.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1198, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 से जिला मुँरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुँरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था राजीव गांधी बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, मुँरैना, पंजीयन क्रमांक 452, दिनांक 14 फरवरी, 1994 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी। संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुँरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था राजीव गांधी बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, मुँरैना (मुँरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 03 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था राजीव गांधी बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, मुँरैना, पंजीयन क्रमांक 452, दिनांक 14 फरवरी, 1994 है। पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री भास्कर शर्मा, पद व. सह. नि., मुँरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

(274-T)

मुँरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/932.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1199, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 से जिला मुँरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुँरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था एम. एस.बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरेह, पंजीयन क्रमांक 1374, दिनांक 21 जनवरी, 2011 है। संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था।

जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब देने हेतु 15 दिवस का समय चाहा गया. तदोपरांत जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है.

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था एम. एस. बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरेह (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 02 वर्ष में असफल रही है.

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था एम. एस. बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरेह, पंजीयन क्रमांक 1374, दिनांक 21 जनवरी, 2011 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री ओ. एन. शर्मा, पद अंकेक्षण अधिकारी, मुरैना की नियुक्ति की जाती है. वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे.

(274-U)

मुरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/933.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1204, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था शक्ति चलित उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, दतहरा, पंजीयन क्रमांक 810, दिनांक 27 जनवरी, 1989 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब अप्राप्त जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है.

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था शक्ति चलित उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, दतहरा (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है.

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था शक्ति चलित उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, दतहरा, पंजीयन क्रमांक 810, दिनांक 27 जनवरी, 1989 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री आर. डी. पचौरिया, पद उप-अंकेक्षक, मुरैना की नियुक्ति की जाती है. वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे.

(274-V)

मुरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/934.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/299, दिनांक 21 फरवरी, 2014 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चुरहेला, पंजीयन क्रमांक 596, दिनांक 31 मार्च, 1986 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त

किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 13 मार्च, 2014 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब हेतु समय चाहा गया तदोपरांत कोई जबाब प्रस्तुत नहीं हुआ जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है.

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चुरहेला (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है.

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चुरहेला, पंजीयन क्रमांक 596, दिनांक 31 मार्च, 1986 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री मुकेश सक्सेना, पद उप-अंकेक्षक, मुरैना की नियुक्ति की जाती है. वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे.

(274-W)

मुरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/935.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/298, दिनांक 21 फरवरी, 2014 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, फाटिक का पुरा, पंजीयन क्रमांक 864, दिनांक 17 मार्च, 1989 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 13 मार्च, 2014 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से जबाब हेतु समय चाहा गया तदोपरांत कोई जबाब प्रस्तुत नहीं हुआ जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है.

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, फाटिक का पुरा (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत् रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है.

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, फाटिक का पुरा, पंजीयन क्रमांक 864, दिनांक 17 मार्च, 1989 है. पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है. सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये.

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री पवन अग्रवाल, पद उप-अंकेक्षक, मुरैना की नियुक्ति की जाती है. वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे.

(274-X)

मुरैना, दिनांक 24 जुलाई, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क)(1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./2014/936.—इस कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/13/1197, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 से जिला मुरैना में उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था प्राथमिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, सबलगाढ़, पंजीयन क्रमांक 1355, दिनांक 08 सितम्बर, 2008 है. संस्था अपने पंजीकरण उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी इस बावत् उक्त नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उपरोक्त संस्था को यह सूचित किया गया था कि संस्था अपने पंजीकरण के उद्देश्यों से पूर्णतः असफल रही है, अस्तु क्यों न उसका पंजीकरण निरस्त किया जाये? इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के लिए दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 निर्धारित की गई थी. संस्था की ओर से

उत्तर प्राप्त हुआ जो संतोषकारक नहीं है। जो इस बात को इंगित करते हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप विगत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक अकार्यशील रही और अपने उद्देश्यों के पाने में पूर्णतः असफल रही है।

जिला कार्यालय मुरैना से प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार संस्था प्राथमिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, सबलगढ़ (मुरैना) के संचालक मण्डल की सूचना वार्षिक आम सभा की सूचना पंजीकृत पते पर कार्यरत न होने की सूचना व्यवसाय का नाम व उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के बारे में कोई भी जानकारी एवं विभागीय अंकेक्षण करवाने में सतत रूप से विगत 04 वर्ष में असफल रही है।

अस्तु मैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था प्राथमिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, सबलगढ़, पंजीयन क्रमांक 1355, दिनांक 08 सितम्बर, 2008 है। पंजीकरण हेतु दर्ज मूल उद्देश्यों एवं व्यवसाय व्यवस्था करने में पूर्णतः असफल रही है इसलिए इस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण को आज दिनांक से समाप्त किया जाता है। सर्व सम्बन्धितों को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जाये तथा एक प्रति शासकीय मुद्रणालय में गजट नोटीफिकेशन हेतु प्रेषित की जाये।

उक्त संस्था की लेनदारी-देनदारी के निराकरण हेतु शासकीय समनुदेशिती के तौर पर श्री आर. डी. पचौरिया, पद उप-अंकेक्षक, मुरैना की नियुक्ति की जाती है। वे आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर उपरोक्त लेनदारी-देनदारी का निराकरण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

अभय कुमार खरे
संयुक्त पंजीयक.

(274-Y)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित नैझर पंजी. क्रमांक 1209, दिनांक 1 मार्च, 2014 विकासखण्ड नारायणगंज को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2063, मण्डला, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 मार्च, 2015 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियाँ/देनदारियाँ शेष नहीं है।

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 24 मार्च, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. सी. अग्रवाल,
सहायक रजिस्ट्रार.

(276)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2015 ज्येष्ठ 1, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 जनवरी, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, शिवपुरी, उमरिया व जबलपुर में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, उमरिया, खरगौन, जबलपुर व नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. **फसल स्थिति.**—
5. **कटाई.**—जिला डिण्डोरी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, सतना, उमरिया, उज्जैन, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 21 जनवरी, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुँरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुँरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) राई-सरसों, मटर अधिक. गेहूँ, जौ, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ...	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) चना, गेहूँ, सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना, कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मूंग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नाौर	..		तुअर, उड़द, तिल, सोयाबीन, गेहूँ,		
4. पवई	..		चना, मसूर, आलू कम.		
5. शाहनगर	..		(2) ..		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		कम.		
4. सागर	..		(2) ..		
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा				
2. बटियागढ़				
3. दमोह				
4. पथरिया				
5. जवेरा				
6. तेन्दूखेड़ा				
7. पटेरा				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर				
2. मझगवां				
3. रामपुर-बघेलान				
4. नागौद				
5. उचेहरा				
6. अमरपाटन				
7. रामनगर				
8. मैहर				
9. बिरसिहपुर				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, कम. अलसी, जौ, राई, सरसों, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर				
2. सिरमौर				
3. मऊगंज				
4. हनुमना				
5. हजूर				
6. गुढ़				
7. रायपुरकर्चुलियान				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर				
2. ब्यौहारी				
3. जैसिहनगर				
4. जैतपुर				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. अलसी, राई-सरसों, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी				
2. अनूपपुर				
3. कोतमा				
4. पुष्पराजगढ़				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक. सोयाबीन कम. तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़				
2. पाली				
3. मानपुर				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2.	3.	5.	7.
1. गोपदवनास	4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली			
4. कुसमी			
5. चुरहट			
6. रामपुरनैकिन			
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. चितरंगी	4. (1) चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, जौ, आलू समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	(2) ..		
3. सिंगरौली			
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	4. (1) गेहूँ, चना कम. रायड़ा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	(2) ..		
3. मल्हारगढ़			
4. गरोठ			
5. मन्दासौर			
6. श्यामगढ़			
7. सीतामऊ			
8. धुन्धडका			
9. संजीत			
10. कयामपुर			
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	(2) ..		
3. मनासा			
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	(2) ..		
3. सैलाना			
4. बाजना			
5. पिपलौदा			
6. रतलाम			
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना			
4. घटिया			
5. उज्जैन			
6. बड़नगर			
7. नागदा			
जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	(2) ..		
3. नलखेड़ा			
4. आगर			
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	(2)	
3. शुजालपुर			
4. कालापीपल			
5. गुलाना			

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) मक्का अधिक. चना, कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		गेहूं, समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..		(2) ..		
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) गेहूं, चना कम. कपास, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..		(2) ..		
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूं, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अधिक. ज्वार, धान, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		(2) ..		
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		अधिक. गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) ..		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर अधिक. चना, मटर, लाख, तिवड़ा कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मटर, तुअर अधिक. मसूर कम. गेहूँ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, जौ, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. राई, सरसों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. बोलखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— जिला भिण्ड, अशोकनगर, शहडोल, रतलाम, देवास, बड़वानी, खण्डवा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,

(270)

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.